

International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483

E-ISSN: 2706-7491

IJGGE 2022; 4(1): 59-62

Received: 01-03-2022

Accepted: 05-04-2022

डॉ. राजबाला साईवाल

सहायक आचार्य, भूगोल शास्त्र
विभाग, देव इन्टरनेशनल कॉलेज,
अलवर, राजस्थान, भारत

माली राम यादव

शोधार्थी, भूगोल शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
राजस्थान, भारत

जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में भूमि उपयोग के प्रबंधन का एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. राजबाला साईवाल, माली राम यादव

सारांश

प्राकृतिक संसाधनों में भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। भौतिक संसाधनों में भूमि एक मुख्य संसाधन है। यदि किसी क्षेत्र के भूमि संसाधन का अनुकूलतम् (पौष्णीय) उपयोग किया जाए तो उस क्षेत्र का विकास स्वतः ही गति पकड़ सकता है। भूमि उपयोग का विश्लेषण व्यावहारिक भूगोल का एक मुख्य उपागम है। भूमि उपयोग का उचित उपयोग करने के लिए भूमि का वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग वहां के पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है। भूमि उपयोग का अध्ययन प्रादेशिक नियोजन में महत्वपूर्ण होता है। 'भूमि प्रयोग' के अन्तर्गत भू-भाग प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप रहता है और भूमि उपयोग भूमि प्रयोग के शोषण की प्रक्रिया है, जिसमें भूमि का व्यावहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। मानव अपनी आवश्यकतानुसार भूमि का उचित एवं अनुचित उपयोग करता है तथा लाभप्रद भूमि उपयोग को अपनाता है। भूमि उपयोग को प्राकृतिक व सांस्कृतिक उत्पादनों के संयोग का प्रतिफल माना जाता है एवं मानव अपने अविरल परिश्रम से भूमि की उपयोगिता में वृद्धि करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अवांछनीय कार्य करता है, जिससे भूमि उपयोग प्रभावित हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र में बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण भूमि उपयोग बढ़ाता है, फलतः कृषि योग्य भूमि कम हुई है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं एवं पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए भूमि उपयोग प्रबंधन अत्यावश्यक हो जाता है।

कूटशब्द: भूमि, प्रादेशिक नियोजन, प्राकृतिक संसाधन, कृषि योग्य भूमि, भूमि उपयोग प्रबंधन

प्रस्तावना

प्राथमिक अवस्था में भू-भाग वनस्पति आवरण से आच्छादित या वनस्पति विहीन रहता है। इस प्रकार यदि कोई भू-भाग मानवीय प्रभावों से वंचित है या उसका उपयोग प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो उस भू-भाग के लिए 'भूमि प्रयोग' शब्द अधिक उचित होगा। इस प्रकार यदि किसी भू-भाग पर मानवीय छाप अंकित है या मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप भूमि का उपयोग कर रहा है तो उस भू-भाग के लिए 'भूमि उपयोग' शब्द अधिक उचित होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव के उपयोग के साथ भूमि संसाधन बन जाती है। मानव ही भूमि को कृषि के योग्य बनाता है, कम उपजाऊ भाग को अधिक उपजाऊ बनाता है तथा एक फसली क्षेत्र को बहु फसली क्षेत्र में परिवर्तित करता है। जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, तब उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। किसी भी स्थान की भूमि उपयोग गहनता कुछ कारकों जैसे वर्षा, मृदा, सिंचाई, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। भूमि उपयोग के तरीकों पर ही कृषि उत्पादन निर्भर करता है। भौगोलिक अध्ययन में भूमि उपयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने वर्ष 1919 में किया, परन्तु भूमि उपयोग एवं उसके नियोजनात्मक स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण स्टैम्प के व्यापक भूमि उपयोग सर्वेक्षण के पश्चात् ही संभव हो सका। कृषि विकास में भूमि उपयोग स्वरूप का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। सतत् कृषि विकास तभी संभव है जब उपलब्ध भूमि उपयोग के स्वरूप को समझकर उचित विधि से भूमि का उपयोग किया जावे ताकि भूमि उपयोग का प्रबंधन संभव हो सके। वर्तमान भूमि उपयोग स्वरूप के आधार पर ही किसी क्षेत्र की कृषि योजना का निर्धारण किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र

विराटनगर, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है, यह जयपुर शहर से 90 कि.मी., अलवर शहर से 60 कि.मी. एवं शाहपुरा से 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 482.36 वर्ग कि.मी. है। विराटनगर तहसील में 101 गाँव एवं 1 कस्बे आते हैं।


Corresponding Author:

डॉ. राजबाला साईवाल

सहायक आचार्य, भूगोल शास्त्र
विभाग, देव इन्टरनेशनल कॉलेज,
अलवर, राजस्थान, भारत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 166087 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 87069 एवं स्त्री जनसंख्या 79018 है। अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 344 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. एवं लिंगानुपात 908 महिला प्रति 1000 पुरुष है। विराटनगर तहसील के उत्तर में कोटपुतली तहसील, दक्षिण में

जमवारामगढ़ तहसील, पश्चिम में शाहपुरा तहसील एवं पूर्व में अलवर जिला स्थित हैं। विराटनगर तहसील मुख्यालय $27^{\circ}36'$ उत्तरी अक्षांश तथा $76^{\circ}17'$ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। इस तहसील की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 430 मीटर है।



मानचित्र: विराटनगर तहसील की अवस्थिति

उद्देश्य

1. विराटनगर तहसील में भूमि उपयोग का अध्ययन करना।
2. विराटनगर तहसील में भूमि उपयोग के प्रबंधन की तकनीकों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

विराटनगर तहसील में स्थानीय लोगों की जागरूकता के परिणामस्वरूप भूमि उपयोग प्रबंधन की दिशा में जोर दिया जा रहा है।

शोध विधि

उक्त अध्ययन में उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित

की गयी हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामग्री तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है –

1. **प्राथमिक स्रोत:** इस सम्बन्ध में अनुसूची, प्रश्नावली, कार्यकरण तथा परिचर्चा के बारे में व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उपयोग किया गया है।
2. **द्वितीय स्रोत:** इस सम्बन्ध में प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, कार्यालयों की सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

भूमि उपयोग प्रबन्धन

भूमि उपयोग के अन्तर्गत वन क्षेत्र, कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त), पड़त भूमि, वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर), समस्त बोया हुआ क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल आदि को सम्मिलित किया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सीमित रहता है जिस कारण इस भूमि

उपयोग का उचित प्रबंधन आवश्यक हो जाता है ताकि बढ़ते जनसंख्या दबाव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। भूमि उपयोग प्रबन्धन मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसमें खाद्य, जल, मृदा, आजीविका, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का प्रबन्धन वृहद् रूप में किया जाता है। भूमि उपयोग में भूमि पर जीवन के विभिन्न पहलूओं के आपसी सम्बन्धों का औचित्यपूर्ण विश्लेषण होता है, उदाहरण के लिए दशकों से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि प्रबन्धन हेतु नयी—नयी तकनीकों प्रयोग में लायी जा रही है, जो कि लाभकारी सिद्ध हुई हैं, किन्तु कई क्षेत्रों में ये संकट ग्रस्त रही हैं।

तालिका 1: भूमि उपयोग, 2018–19

क्र.सं.	भूमि वर्गीकरण	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	48236
2.	वन	18233
3.	कृषि अयोग्य भूमि	4323
4.	जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	3093
5.	पड़त भूमि	3398
6.	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर)	18315
7.	समस्त बोया हुआ क्षेत्रफल	30736
8.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	12421

स्रोत – जिला सांखिकी रूपरेखा वर्ष 2020 जयपुर।

भूमि उपयोग प्रबन्धन में जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डों को शामिल करना अति आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन अपेक्षित रहा है। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि कर नवीन तकनीकों से फसल चक्रों का उपयोग करते हुए देशी एवं विदेशी किस्म की फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर जनसंख्या का भरण—पोषण सम्भव है।

खेती के लिए बेहतर भूमि प्रबन्धन में संवहनीय कृषि अभ्यासों का प्रयोग अधिक कारगर साबित होगा। घास के मैदानों को फसल उत्पादन हेतु भूमि में बदलने से रोकना, जल का प्रबन्धन, फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी एवं उच्च ताप सहन कर सकने वाले बीजों की स्वदेशी किस्मों का प्रयोग आवश्यक है। बढ़ते हुए भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा अवनयन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि इनसे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों की उत्पादकता में भी कमी आती है। मानवीय स्वास्थ्य गिरता है।

भूमि उपयोग प्रबन्धन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषकों का शिक्षित होना आवश्यक है। ताकि बदलती परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए प्रबन्धन कर सकें। भूमि उपयोग प्रबन्धन के लिए गरीबी कम करना, लघु व सीमान्त किसानों की बाजार तक बेहतर पहुंच, महिला सशक्तिकरण, कृषि सेवाओं का विस्तार एवं भूमि धारण प्रणालियों को मजबूत करना आवश्यक है।

विराटनगर तहसील विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताओं से युक्त है। इसके कुल क्षेत्रफल में से केवल 30736 हैक्टेयर क्षेत्र में ही कृषि की जाती है जो कि अत्यधिक कम है। इसके दक्षिणी भागों में कृषि क्षेत्र कम पाया जाता है। यहां सिंचाई की व्यवस्था करके तथा अन्य आधुनिक तरीकों के द्वारा कृषि भूमि में वृद्धि की जानी चाहिए।

विराटनगर तहसील में 18233 हैक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है, जो कि कुल क्षेत्र का 37.80 प्रतिशत है। यह राज्य के वन क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है, साथ ही देश की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भाग पर वन से भी अधिक हैं, फिर भी पर्यावरण प्रबंधन के लिए क्षेत्र के बनों का विस्तार आवश्यक है, सामाजिक वानिकी व समाज में जागरूकता पैदा कर जिले के वन क्षेत्र का विस्तार करना अति आवश्यक है।

गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लायी गयी भूमि का विस्तार प्रति वर्ष बढ़ रहा है। बस्तियों के विस्तार के लिए, यातायात के साधनों में वृद्धि होने से तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से इसके अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यथा असंभव गैर मुमकिन एवं ऊसर कृषि भूमि का उपयोग इनके लिए किया जाना चाहिए जिससे उपजाऊ कृषि भूमि फसलों के लिए उपलब्ध रहे।

विराटनगर तहसील में कुल 3398 हैक्टेयर क्षेत्रफल परती भूमि के अन्तर्गत है जो बहुत अधिक है। कृषि की नई तकनीकों का उपयोग करके इसको नियमित कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है। पुरानी परती के कुछ भागों को गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 12421 हैक्टेयर तथा वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल (दुपज घटाकर) 18315 हैक्टेयर है। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाकर तथा अन्य सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करके इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है और इसमें स्थायित्व लाया जा सकता है जिससे न केवल भू—उत्पादकता में वृद्धि होगी, वरन् कृषि में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जिनके कारण प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्रफल में निरन्तर कमी होती जा रही है जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें खाद्यान्नों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण कृषक को सीमांत लाभ ही प्राप्त होता है। भूमि के अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित करने के लिए विस्तृत भूमि उपयोग संवेदन की आवश्यता होती है, ताकि सभी प्रकार के उपयोगों के लिए समुचित भूमि का आवंटन किया जा सके।

यद्यपि परती भूमि तथा कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाकर निरा बोये गये क्षेत्रफल में विस्तार किया जा सकता है, परन्तु प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान अधिक उत्पादन देने वाले बीजों, रासायनिक खाद तथा उन्नत कृषि तकनीकों की सहायता से उत्पादकता बढ़ाकर तथा एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल में वृद्धि करके समस्या का हल प्राप्त किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र के जिस भाग में उपजाऊ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, उस भाग में उत्पादकता अधिक है, क्योंकि वहां पर अधिकाधिक भूमि का उपयोग कृषि कार्य में किया जा रहा है। खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसलों की बारी—बारी से बुवाई की जाती है। इसके विपरीत जिस भाग में उपजाऊ मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है, वहां के न्यून भाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है तथा शेष भाग पर अन्य कार्य किये जाते हैं। अतः मिट्टी के उपजाऊपन व कृषि विकास में उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है।

विराटनगर तहसील के जिन भागों में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ पायी जाती हैं तथा उन पहाड़ियों के परिवृत्त कंकड़—पत्थर वाली मिट्टियों का बाहुल्य है तथा सिंचाई साधनों की कम उपलब्धता है, वहां—वहां भूमि का कृषि कार्यों में निम्न उपयोग किया जाता है। उन परिवृत्त क्षेत्रों में अधिकांशतः भूमि परती ही छोड़ दी जाती है। कालांतर में इन परिवृत्त क्षेत्रों के भूमि उपयोग में परिवर्तन आने लगता है व भूमि का कृषि कार्यों में अधिकतम उपयोग किया जाने लगता है।

निष्कर्ष

जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में भूमि उपयोग के अन्तर्गत 18233 हैक्टेयर वन क्षेत्र, 4323 हैक्टेयर कृषि अयोग्य भूमि, 3093 हैक्टेयर जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त), 3398 हैक्टेयर पड़त भूमि, 18315 हैक्टेयर वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर), 30736 हैक्टेयर समस्त बोया हुआ क्षेत्रफल एवं 12421 हैक्टेयर एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल सम्मिलित है।

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सीमित रहता है जिस कारण इस भूमि उपयोग का उचित प्रबंधन किया जा रहा है जिससे बढ़ते जनसंख्या दबाव, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

खाद्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, भूमि प्रबन्धन में सुधार, पशु धन प्रबन्धन, कृषि वानिकी, मृदा के कार्बनिक घटक में वृद्धि और फसल कटाई से होने वाले नुकसान को कम करने से पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत रहता है जिससे भूमि उपयोग परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से भूमि उपयोग परिवर्तन को धीमा एवं नुकसान रहित करना आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिकी सन्तुलन सम्बन्धी कठोर कानून बनाये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. सक्सेना, हरिमोहन (2021), “राजस्थान का भूगोल”, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान सरकार पृष्ठ संख्या 51–59।
2. गौतम, अल्का (2020), कृषि भूगोल, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 76–85।
3. शर्मा, एच.एस. एवं शर्मा, एम.एल. (2020), राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 82–88।
4. कुमार प्रमिला एवं शर्मा श्रीकमल (2020), कृषि भूगोल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ संख्या 47–55।
5. जिला साञ्चिकी रूपरेखा, जयपुर जिला— 2020
6. शुक्ला राजेश एवं शुक्ला रशिम (2019), कृषि भूगोल, अर्जुन प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 71–77।
7. शर्मा एवं भारद्वाज (2016), कृषि भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, पृष्ठ संख्या 42–49।